न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 64/2023 दर्ज दिनांक 04.07.2023

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2023/260

अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. किशोर पुत्र नन्दा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र नन्दा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंकु पत्नि भैरू जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जीवराज पुत्र भैरू जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 5 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक:– 17/3/2026

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 08.04.2025 के द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम लखाहोली पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 362 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 363 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 445 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 447 रकबा 0.37 है0, आराजी संख्या 448 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 449 रकबा 0.69 है0, आराजी संख्या 450 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 458 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 459 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 460 रकबा 1.22 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.67 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2026/203 दिनांक 17.02.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	किशोरलाल पुत्र नन्दा जाट सा.देह खातेदार रहन बीओबी शाखा आशाहोली	ग्राम लखाहोली (खाता संख्या 52)	362 445 447 449/1	0.32 0.67 0.37 0.10
		योग	4	1.46
2	1. नारायणलाल पुत्र नन्दा 1/2 जाट सा.देह रहन बीओबी शाखा आशाहोली 2. जीवराज पुत्र भैरूलाल 1/4 जाट सा.देह रहन बीओबी शाखा आशाहोली 3. कंकु पत्नि भैरूलाल 1/4 जाट सा.देह रहन बीओबी शाखा आशाहोली	ग्राम लखाहोली (खाता संख्या 52)	448 449/2 460 458 459	0.56 0.59 1.22 0.27 0.28
		योग	5	2.92
3	(सामलाती बदस्तुर) किशोरलाल पुत्र नन्दा 1/3, नारायणलाल पुत्र नन्दा 1/3, जीवराज पुत्र भैरूलाल 1/6, कंकु पत्नि भैरूलाल 1/6 जाट सा.देह रहन बीओबी शाखा आशाहोली	ग्राम लखाहोली (खाता संख्या 52)	363 450	0.23 0.06
		योग	2	0.29

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 64 / 2023 दर्ज दिनांक 04.07.2023

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :— 2023 / 260

अन्तर्गत धारा :— 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. किशोर पुत्र नन्दा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नारायण पुत्र नन्दा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंकु पत्नि भैरू जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जीवराज पुत्र भैरू जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

निर्णय दिनांक : 17/3/26

डिक्री दिनांक : 17/3/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री फारूख मोहम्मद मन्सूरी, व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :—

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना—अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	3. काली पुत्री बालू 1/2 पिनारा सा.देह 4. शान्ति पत्नि बालू 1/2 पिनारा सा.देह	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1447 / 2 1448 / 2 1449 / 2 1822 / 1 1823 / 1 1835 / 1	0.01 0.05 0.51 0.05 0.04 0.20
		योग	6	**0.86**
2	4. लक्ष्मण पुत्र हरा 1/3 पिनारा रहन बीओबी शाखा रायपुर 5. हेमराज पुत्र हरा 1/3 पिनारा रहन बीआरकेजीबी	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1385 1447 / 1 1448 / 1	0.28 0.90 0.24

सहायक कलक्टर
(... ...), रायपुर

	शाखा रायपुर 6. जमना पुत्री हरा 1/3 पिनारा सा.देह		1449/1 1451/2 1459/2 1822/2 1823/2 1835/2 1462 1824	0.04 0.43 0.42 0.02 0.04 0.04 0.16 0.02
		योग	**11**	**2.59**
3	सामलाती बदस्तुर	ग्राम नाथड़ियास (खाता संख्या 307)	1451/1 1451/3 1459/1 1459/3 1835/3	0.01 0.01 0.02 0.02 0.06
		योग .	**5**	**0.12**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।

नीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/3/26 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)